क्रम-संख्या–228

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 15 सितम्बर, 2011

भाद्रपद 24, 1933 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वन अनुभाग–5

संख्या 1421/14–5-2011-57-2006

लखनऊ, 13 सितम्बर, 2011

अधिसूचना

शुद्धि-पत्र

सा0प0नि0–68

जैव विविधता अधिनियम, 2002 (अधिनियम संख्या 18 सन् 2003) की धारा 63 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल दिनांक 9 अप्रैल, 2010 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित वन अनुभाग–5 की अधिसूचना संख्या 570 / 14–5–2010–57–2006, दिनांक 09 अप्रैल, 2010 के हिन्दी में प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित शुद्धि करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. नियम 7 के शीर्षक **'गैर सरकारी सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना'** में पहला शब्द **'गैर'** अस्पष्ट मुद्रित है, इसे **'गैर'** पढ़ा जाय।
2. नियम 10(7) में **'सचिव को बोर्ड द्वारा यथा प्रयायोजित प्रशासनिक, तकनीकी और वित्तीय संस्वीकृतियॉं प्रदान करने की शक्ति हो'** में **'यथा प्रयायोजित'** के स्थान पर **'प्रत्यायोजित'** पढ़ा जाय।
3. नियम 13 (अट्ठाईस) में **'लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान करना और उनका पुनर्वास करना'** में **'पुनर्वास'** शब्द अस्पष्ट मुद्रित है इसे **'पुनर्वास'** पढ़ा जाय।
4. नियम 15 के शीर्षक **'जैवीय संसाधनों और सहबद्ध पारपरिक ज्ञान के प्रति पहुँच के लिए प्रकिया'** में **'पारपरिक'** के स्थान पर **'पारंपरिक'** पढ़ा जाय।
5. नियम 17 में **'बोर्ड यदि आवश्यक और उपयुक्त समझे तो जैव संसाधनों के प्रति पहुँच के अनुरोध का निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने के लिए निम्नलिखित कारणों से कदम उठाएगा'**, में **'अनुरोध का निर्बन्धित'** के स्थान पर **'अनुरोध को निर्बन्धित'** पढ़ा जाय।
6. प्ररूप 1 के भाग 'क' के बिन्दु संख्या 3 में **'पहुंच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग के भारत / समुदायों को प्रवहित होंगे, उन फायदों का प्राक्कलन'** के स्थान पर **'उन फायदों का प्राक्कलन जो पहुँच प्राप्त जैव संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से समितियों को प्रवहित होगें'** पढ़ा जाय।

आज्ञा से,
चंचल कुमार तिवारी,
प्रमुख सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–378 राजपत्र (हि०)–2011–(940)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–4 सा0 वन–2011–(941)–500 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी० / आफसेट)।

378 RPH-data-1